न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 133-एक/2011-विरूद्ध आदेश दिनांक 29-11-2010 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर - प्रकरण क्रमांक 309/अ-76/08-09 अपील

घनश्याम जायसवाल पुत्र जगन्नाथ
बार्ड नं0 7 बालाघाट,जिला बालाघाट ---आवेदक

विरूद्ध

1- श्रीमती मंदाकिनी पत्नि ज्ञानीराम
उर्फ ज्ञानू रनगिरे, निवासी कंकर
मुजारे के घर के सामने,बालाघाट
तहसील व जिला बालाघाट

2- मध्य प्रदेश वित निगम
1108 पचपेढ़ी साउथ
सिविल लायन जबलपुर --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक-1 के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)
(अनावेदक-2 के अभिभाषक श्री के.के.गोस्वामी)

आदेश

(आज दिनांक 18 - 3 -2016 को पारित)

अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 309/अ-76/08-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-11-2010 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि म0प्र0 वित्त निगम व्दारा

दिनांक 27-5-1985 को छेदीलाल के लिये 30.00 लाख एंव 15-12-1989 को 12.00 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया। यह ऋण जिला बालाघाट के ग्राम गायखुरी में हिम्मत टायर्स प्रा0लि0 इकाई निर्माण हेतु स्वीकृत हुआ। इकाई के मुख्य बकायादार छेदीलाल जायसवाल एंव घनश्याम जायसवाल को बकायादार होने के कारण अतिरिक्त तहसीलदार (बसूली) म0प्र0वित्त विकास निगम जबलपुर ने प्रकरण कमांक 2 अ-46/04-05 दर्ज कर बकाया राजस्व की भॉति वसूली हेतु नोटिस जारी किया, बकायादार व्दारा राशि जमा न करने के कारण उनकी संपत्ति नीलाम किये जाने की कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 9-5-2007 पारित किया गया तथा अनावेदक कमांक-2 बोलीदार की नीलामी बोली स्वीकार कर एक चौथाई राशि जमा करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी बालाघाट के समक्ष अपील कमांक 24/2007-08 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 28-2-2009 से स्वीकार की जाकर अतिरिक्त तहसीलदार (बसूली) म0प्र0वित्त विकास निगम जबलपुर का आदेश दिनांक 9-5-2007 निरस्त किया गया एंव प्रकरण पुनः कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक-1 ने अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील कमांक 309/अ-76/08-09 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 29-11-2010 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 28-2-2009 निरस्त कर दिया तथा अपील अग्राह्य होने से निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुनना चाहे, किन्तु उनकी ओर से लेखी

बहस प्रस्तुत की गई है, जिनके अवलोकन के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों एंव लेखी बहस में अंकित तथ्यों के अवलोकन पर स्थिति यह है कि बकाया वसूली हेतु जब अतिरिक्त तहसीलदार (बसूली) म0प्र0वित्त विकास निगम जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 2 अ-46/04-05 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की है , आवेदक एंव उसकी पत्नि अतिरिक्त तहसीलदार के समक्ष उपस्थित रहे है एंव उन्होंने अति0तहसीलदार व्दारा की जा रही कार्यवाही का विरोध किया है जिस पर श्रीमती मधु जायसवाल की व्यक्तिगत संपत्ति को नीलामी कार्यवाही से उन्मुक्त कर दिया गया है। अतएव पाया गया कि अतिरिक्त तहसीलदार बसूली ने कुर्की एंव नीलामी की कार्यवाही विधि में विहित प्रकिया अपनाते हुये तथा पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हेतु की है। अति0तहसीलदार (वसूली) जबलपुर के आदेश दिनांक 9-5-2007 के विरूद्व आवेदक ने सक्षम न्यायालय में एक वर्ष की समयावधि के भीतर वाद भी प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण अति0तहसीलदार का आदेश अंतिम हो चुका है। मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-8/सात/शाखा-8/95 दिनांक 22-3-1996 के अनुसार म0प्र0 वित्त निगम के सहायक ब्रांच मैनेजर को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 146 एंव 147 के अंतर्गत तहसीलदार की शक्तियॉ प्रदान की गई है और इन्हीं शक्तियों के अधीन अतिरिक्त तहसीलदार (बसूली) म0प्र0वित्त विकास निगम जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 2 अ-46/04-05 में कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 9-5-2007 पारित किया है और ऐसे आदेश के विरूद्व वाद संस्थित न होने के कारण अपील का प्रावधान न होने से अपील

भी ग्राह्य नहीं है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी बालाघाट ने नियमों की अनदेखी करते हुये आवेदक व्दारा प्रस्तुत अपील को ग्राह्य कर सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 28-2-09 से अपील स्वीकार करने में त्रृटि की गई है और ऐसे त्रृटिपूर्ण आदेश को अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 111/अ-76/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-11-2010 से निरस्त करने में किसी प्रकार की भूल नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 309/अ-76/08-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-11-2010 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर